न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टीए/2327/2003/सीकर

1– मोहनसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नीमोद तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

------ अपीलकर्ता/वादी

बनाम

1– ओनाड़सिंह पुत्र श्योकरणसिंह,
2– भवानीसिंह पुत्र ओनाड़सिंह,
3– राजेन्द्रसिंह पुत्र ओनाड़सिंह,
4– कल्याणसिंह पुत्र सम्पतसिंह – मृतक जरिये वारिसान :–
4/1. श्रीमती राम बाई पत्नी कल्याण सिंह
4/2. श्री महावीर सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह
4/3. हरफूल सिंह पुत्र कल्याण सिंह मृतक जरिये वारिसानः–
4/3/1. श्रीमती बीना कंवर पत्नी
4/3/2. नेहा पुत्री
4/3/3. लोकेन्द्र सिंह पुत्र, सभी निवासी नीमोद वार्ड नं0 7, पोस्ट नीमोद तहसील नीम का थाना जिला सीकर
4/4. फतेह सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह
4/5. मजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासीगण ग्राम निमोद तहसील नीम का थाना जिला सीकर
4/6. मु0 रतन कंवर पुत्री कल्याण सिंह पत्नी रंजीत सिंह, निवासी कैरपुरा तहसील खण्डेला, जिला सीकर
4/7. मु0 माया कंवर पुत्री कल्याण सिंह पत्नी भरतसिंह निवासी राजपुरा तहसील खण्डेला।
5– देवकरणसिंह पुत्र गणेशसिंह,
6– नाथूसिंह पुत्र नानूसिंह मृतक जरिये वारिसानः–
6/1. हंसा कंवर पत्नी नाथुसिंह उर्फ नानुसिंह
6/2. युवराज सिंह पुत्र नाथुसिंह उर्फ नानुसिंह
6/3. महिपाल सिंह पुत्र नाथुसिंह उर्फ नानुसिंह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम नीमोद, तहसील नीम का थाना जिला सीकर।
6/4. श्रीमती सुनिता कंवर पुत्री नाथुसिंह उर्फ नानुसिंह पत्नी नंदूसिंह राजपूत निवासी रूपपुरा उदलवास, वाया थोई, पोस्ट थोई, तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर।

-------- उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

अपील/टीए/2327/2003/सीकर
मोहनसिंह बनाम ओनाड़सिंह

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री जे0पी0 माथुर, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री श्यामबाबू पारीक, अभिभाषक रेस्पो0।

निर्णय दिनांक :– 10.07.2024

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225, के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर की अपील संख्या 31/2001 में पारित निर्णय दिनांक 31–03–2003 बउनवानी ओनाड़सिंह बनाम मोहनसिंह के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी ने विद्वान परीक्षण उपखण्ड अधिकारी, नीम का थाना के समक्ष एक वाद इस्तकरार हक दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत किया। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के तथ्यों का नकारते हुए वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे मे आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–07–2001 से वादी मोहनसिंह को आराजी खसरा नं0 571 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम उक्त भूमि से राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–03–2003 से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय दिनांक 31–03–2003 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विरूद्ध न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में न्यायिक भूल की है। उनका निर्णय आदेश 41 नियम 23, 23–ए, 24 एवं 25 जा0दी0 के प्रावधान के तहत नहीं है। नियम 23 के तहत यदि अदालत तहत ने वाद प्राथमिक डिक्री बिन्दु पर निर्णित किया है तो उसकी अपील में अपीलीय न्यायालय निर्णय देते हुए पुनः प्रतिप्रेषित कर सकता है कि परीक्षण न्यायालय सभी तनकियों पर साक्ष्य लेकर पुनः निर्णय करें। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने कतई वाद वादी अपीलांट प्रतिकूल कब्जा के आधार पर डिक्री नहीं किया, रिकॉर्ड एवं अधिनियम के तहत प्रावधान के तहत डिक्री किया है। रेस्पो0 के मौखिक गवाह के सशपथ बयान से ज्यादा वजन खसरा गिरदावरी रखती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपना निर्णय पेज 8 पर तनकीवार दिया है, तनकी नं0 1, 2, 3, 4 एवं 5 को देखने से वाद कतई प्रतिकूल कब्जा (एडवर्स पजेशन) पर आधारित कर डिक्री नहीं किया है तथा तनकी नं0 1 में दोनों पक्षों की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण, विवेचन किया है। तनकी नं0 1 एवं 2 तथा वादपत्र की मद नं0 1, 2 व 3 में वादी/अपीलांट प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद लाया है तथा खातेदारी की मांग कर रहा है। प्लीडिंग्स में प्रतिकूल कब्जे के बारे में बात आयी है, मौखिक साक्ष्य में भी कब्जा की बाबत् कथन किये गये है। मात्र तनकी स्पष्ट नहीं बनने से प्रकरण स्वीकार कर प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता था। नयी तनकी कायम करते अथवा अपील पूर्ण स्वीकार कर दावा गलत तथ्यों पर निर्णित होने से निरस्त कर देते, उन्होंने ऐसा नहीं कर अपने अन्तर्गत निहित शक्तियों का दुरूपयोग किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–03–2003 को निरस्त किया जाकर विद्वान

उपखण्ड अधिकारी, नीम का थाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–07–2001 को बहाल रखा जाने का निवेदन किया।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी में रहन मुर्तहीन का इन्द्राज है। रहन का कोई दस्तावेज नहीं है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावा गलत डिक्री किया है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण सही प्रतिप्रेषित किया है। अतः अपील खारिज की जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2011 आर0आर0डी0 पेज 508, 2020(2) आर0आर0टी0 पेज 1070, 2020(1) आर0आर0टी0 पेज 378, 2023(1) डी0एन0एस0 पेज 457, 2023(2) डी0एन0एस0 पेज 1469, 2006 आर0आर0डी0 पेज 77 के न्याय दृष्टान्त पेश किये गये।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नीम का थाना ने अपने निर्णय दिनांक 23–07–2001 में अंकित किया कि वादी मोहनसिंह को आराजी खसरा नं0 571 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम उक्त भूमि से राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

8– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने अपने आदेश दिनांक 31–03–2003 में अंकित किया है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9– विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना के समक्ष वादी/अपीलांट ने दावा इस्तकरारहक, दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसे विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तनकी सं0 1 के अनुसार वादीगण को खातेदारी अधिकार इतने लम्बे समय से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि खसरा में शुरू से ही वादीगण का कब्जा चला आना पाया गया है जिसमें कई वर्षो में तो विशेष रूप से वादीगण के नाम बतौर काश्त दर्ज है तथा अन्य वर्षो में खुदकाश्त के

रूप में दर्ज है। जब वादी का पिता/वादी भोग बन्धक गृहिता के रूप में दर्ज था तो खुद काश्त भी वादी की ही मानी जावेगी। इसलिए तनकी नं0 1 वादी के हक में निर्णित की है। तनकी सं0 2 व 3 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण का वाद गलत डिक्री किया है। इसलिए विद्वान परीक्षण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

10– उक्त आक्षेपित निर्णय की अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने माना कि प्रकरण में पांच तनकियात कायम की जिसमें से प्रमुख तनकी यह थी कि क्या वादी भूमि खसरा नं0 571 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार है तथा बतौर खातेदारी रेकार्ड ऑफ राईट्स में इन्द्राज करवाने के हकदार है। उक्त तनकी को अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के पक्ष में इस आधार पर निर्णित किया कि वादी का विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा साबित है। वादी द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया है। इसमें प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई घोषणा नहीं चाही है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई तनकियात भी विरचित नहीं की है। इसलिए तनकी नं0 1 का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन एवं निर्णय उचित नहीं है तथा तनकी सं0 2 का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं0 1 के विवेचन को आधार बनाते हुए वादी के पक्ष में तय किया है जो विधिसम्मत नहीं है। तनकी सं0 3 व 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की ओर से अपने समर्थन में 7 व्यक्तियों की मौखिक साक्ष्य करवाई है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इन सशपथ बयानों का कोई विवेचन नहीं किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन किये बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो विद्वान अपीलीय न्यायालय ने निरस्त योग्य माना जाकर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री को सही रूप से निरस्त कर इन निर्देशों के साथ विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नीम का थाना को प्रतिप्रेषित किया है कि वादपत्र एवं जवाब दावे के आधार पर विरचित तनकियात के

आधार पर दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन करते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे, जो पूर्णतया विधिसम्मत् है।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय उचित एवं न्यायसंगत होने के कारण अपीलांट की अपील काबिल खारिज योग्य है।

11– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर लागू होते हैं।

12– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

13– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(राजेश्वर सिंह)**

सदस्य **अध्यक्ष**